न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 13/36

हीरालाल आत्मज लक्ष्मण उम्र 28 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सत्येन्द्र गुप्ता, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, सांगोद जिला – कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम लटूरी की आराजी खसरा नं. 294, 295, 310, 314 कुल रकबा 0.64 हैक्टर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 01 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 27.12.2011 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2012 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज करने का आदेश पारित किया ।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर मिन 58 थे जिस पर अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के सम से कब्जा चले आने से दिनांक 28.05.74 को राजस्व अभियान के दौरान उक्त आराजी आवंटित की गई थी जिस पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे परन्तु उक्त आराजी के बावतू अपील होने पर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया था जिससे उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.90 को अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को बहाल रखने का आदेश पारित किया किन्तु राजस्व अधिकारियों ने उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया और उक्त भूमि सिवायचक दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज है । अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिससे उसे बेदखल किया गया था अपीलान्ट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि उक्त भूमि उसे पूर्व में आवंटित की गई थी और उसके आवंटन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय से बहाल रखा था । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने उक्त भूमि को आवंटित होने का कथन किया है । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि को अपने पक्ष में आवंटित होने सम्बन्धी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने कथनों को साबित कर सकता है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा